



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261533
CG-DL-E-10032025-261533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]
No. 164]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2025

फा. सं. प्लानिंग/एमपी/0001/2024/एफ-3/—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021/जोन-‘ई’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल citizenservices.dda.org.in के माध्यम से अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर अथवा आयुक्त एवं सचिव, डीडीए, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मुख्य योजना 2021 एवं जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया	सीमाएं
1	2	3	4	5
पॉकेट – बी इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, गाज़ीपुर	752.51 वर्ग मीटर (900 वर्ग गज)	दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार: वाणिज्यिक (सी-2 होलसेल एवं वेयरहाउसिंग) जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार: मनोरंजनात्मक (सामुदायिक पार्क/पार्क/बहुउद्देशीय/जीआर)	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पीएस-1)	उत्तर: मनोरंजनात्मक एनएच-24 दक्षिण: होलसेल (मछली बाजार) पूर्व: मनोरंजनात्मक/ 45 मीटर मार्गाधिकार (डॉ.हेडगेवार रोड) पश्चिम: 30 मी. मार्गाधिकार रोड

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2025> और <https://citizenservices.dda.org.in> पर भी उपलब्ध है।

सुरेन्द्र कुमार मीणा, आयुक्त एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1022/2024-25]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th March, 2025

F. No. PLG/MP/0001/2024/F-3/.—The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi -2021 / Zonal Development Plan of Zone 'E' under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion via online portal citizenservices.dda.org.in or via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in or in writing to the Commissioner-cum-Secretary, DDA, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his / her Name, Address and Telephone/Contact Number(s) / E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

Location	Area	Existing Landuse as per MPD 2021 & ZDP of Zone E	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket-B, Integrated Freight Complex, Gazipur	752.51 sqm (900 sq. yds.)	As per MPD-2021: Commercial (C-2: Wholesale & Warehousing)	Public and Semi-Public (PS-1)	North: Recreational / NH-24
		As per ZDP of Zone E: Recreational (Community Park/ Park/Multipurpose/GR)		South: Wholesale (Fish Market) East: Recreational / 45m ROW (Dr.Hedgewar road) West: 30m ROW Road

The Text / Plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, DDA, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text/plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notice-2025> and <https://citizenservices.dda.org.in>

SURENDRA KUMAR MEENA, Commissioner-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1022/2024-25]